



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 7177 /अका./वि.परि./2012

रायपुर, दिनांक : 28 /04/2012

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की आपात बैठक गुरुवार, दिनांक 26.04.2012 को अपरान्ह 4:00 बजे सर सी.व्ही. रमन हॉल, विज्ञान भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सम्पन्न हुई -

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2	डॉ. आर.बाला सुब्रामनियम	-	सदस्य
3	डॉ. व्यास नारायण दुबे	-	सदस्य
4	डॉ. व्ही.के. शर्मा	-	सदस्य
5	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	-	सदस्य
6	डॉ. ए.के. गुप्ता	-	सदस्य
7	डॉ. संतोष कुमार शर्मा	-	सदस्य
8	डॉ. (श्रीमती) रीता वेणु गोपाल	-	सदस्य
9	डॉ. (श्रीमती) अमिता सहगल	-	सदस्य
10	डॉ. आर.पी. दास	-	सदस्य
11	डॉ. एस.के. सिंह	-	सदस्य
12	डॉ. (श्रीमती) शीला अग्रवाल	-	सदस्य
13	डॉ. तोयनिधि वैष्णव	-	सदस्य
14	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता	-	सदस्य
15	डॉ. भगवन्त सिंह	-	सदस्य
16	डॉ. अब्दुल करीम	-	सदस्य
17	डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय	-	सदस्य
18	डॉ. व्यास दुबे	-	सदस्य
19	डॉ. राकेशचंद्र अग्रवाल	-	सदस्य
20	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
21	डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
22	डॉ. अमर कांत पाण्डेय	-	सदस्य
23	डॉ. (श्रीमती) अनुसूईया बघेल	-	सदस्य
24	डॉ. (श्रीमती) पुष्पलता शर्मा	-	सदस्य
25	डॉ. (श्रीमती) जकिया तसनीम खान	-	सदस्य
26	डॉ. एस.के. जाधव	-	सदस्य
27	डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
28	डॉ. (श्रीमती) कांति चौबे	-	सदस्य
29	डॉ. बशीर हसन	-	सदस्य
30	डॉ. प्रनोद कुमार शर्मा	-	सदस्य
31	डॉ. वी. कामेश्वर राव	-	सदस्य

32	डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
33	डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार	—	सदस्य
34	डॉ. के.एस. पटेल	—	सदस्य
35	डॉ. ए.के. पति	—	सदस्य
36	डॉ. (श्रीमती) अरूणा पल्टा	—	सदस्य
37	डॉ. एम.पी. गुप्ता	—	सदस्य
38	डॉ. (श्रीमती) शशिकांता भारद्वाज	—	सदस्य
39	डॉ. राजेश पाण्डेय	—	सदस्य
40	डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश	—	सदस्य
41	डॉ. मनमोहन लाल सतनामी	—	सदस्य
42	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निर्णय लिये गये :-

01. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशाला में अध्यापकों की नियुक्ति तथा कैरियर एडवांस स्कीम के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में विद्यापरिषद की ओर से तीन विषय विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नाम निर्देशित करने के पूर्व तैयार विषय विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशाला में अध्यापकों की नियुक्ति तथा कैरियर एडवांस स्कीम के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति के लिए पैनल का अनुमोदन किया गया।

02. संशोधित अध्यादेश क्रमांक 4 की कंडिका 2.1.3 (iii) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। अध्यादेश क्रमांक 4 समन्वय समिति द्वारा अनुमोदन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा 06.08.2011 को अधिसूचित किया गया। संशोधित अध्यादेश की उक्त कंडिका में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त एवं पी.एच.डी. के लिए पंजीकृत आवेदकों को नियुक्ति में रेगुलेशन क्रमांक 2009 के अनुसार नेट/स्लेट/सेट से छूट प्रदान की गई है। इस परिपेक्ष्य में प्रकरण विद्यापरिषद के समक्ष निर्देश हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रेगुलेशन 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 45 को विधिवत संशोधन कर 08.06.2010 से प्रभावशील किया गया, अतः दिनांक 08.06.2010 तक पुराने अध्यादेश के तहत पंजीकृत/शोध उपाधि प्राप्त आवेदकों को नेट/स्लेट/सेट से छूट प्रदान किया जावे।

03. डॉ. अनसुइया बघेल अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल भूगोल के द्वारा भूगोल विषय को विज्ञान संकाय में शामिल करने के संबंध में उल्लेखित प्रस्ताव पर विचार करना ।

निर्णय: भूगोल विषय को विज्ञान संकाय में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। भूगोल अध्ययनशाला अधिनियम/परिनियम/विनियम में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करना, सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

01. Good Academic Record की व्याख्या के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में की गई व्यवस्था को ही मान्य किया जाए।
02. शिक्षकों के लिए API गणना में प्रशासनिक एवं परीक्षा कार्यों को चिन्हित कर शामिल किया जावे।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 7178 /अका./वि.परि./2012

रायपुर, दिनांक : 28 /04 /2012

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन, शास. विज्ञान महा. परिसर, रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
3. विद्या परिषद के समस्त सदस्यों को।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. अतिरिक्त संचालक, आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. समस्त विभाग प्रमुख, प्रशासनिक भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)